ORDER SHEET

THE COURT न्यायालय – पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश, इंदौर

जमानत आवेदन पत्र कमांक ...3981/21.../ 202

तसलीम विरूद्ध म.प्र. शासन, द्वारा पुलिस थाना बाणगंगा

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28-8-21	आवेदक [illegible] की ओर से [illegible] अधिवक्ता ने यह आवेदन पत्र धारा 439 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पेश किया गया है। आवेदन पत्र अनुसार आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना बताया गया है। आवेदन पत्र विधिवत् जमानत आवेदन पत्रों की पंजीका मे पंजीबद्ध किया जावे। आवेदन पत्र की नकल/मांगपत्र जारी कर संबंधित थाना/अधीनस्थ न्यायालय से केस डायरी मय प्रतिवेदन/अभिलेख मंगाया जावे। आवेदन पत्र विचारार्थ दिनांक 31-8-21 को पेश हो। [signature] पन्द्रहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इन्दौर (म.प्र.)	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pa... Plea... whe... neces...
31–8–2021	आवेदक/अभियुक्त गोलू उर्फ तस्नीम उर्फ तस्लीम द्वारा श्री ऐहतेशाम हाशमी अधिवक्ता। अनावेदक/राज्य द्वारा श्री संजय मीणा, विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। आपत्तिकर्ता/फरियादी सहित श्री परीक्षित शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर आपत्ति आवेदन पत्र मय मेमो आफ एप्लीएरेंस के प्रस्तुत किया। प्रतिलिपि अभियोजन पक्ष को प्रदान की गयी। आरक्षी केन्द्र बाणगंगा इंदौर के अपराध क. 1119/2021 अन्तर्गत धारा 354, 354–ए, 467, 468, 471, 420, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत **<u>प्रथम</u>** जमानत आवेदन धारा 439 दं0प्र0सं0 पर विचार हेतु नियत है। जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्षों के तर्क सुने गये। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस आशय का है कि यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को उक्त अपराध में मिथ्या आलिप्त किया गया है जबकि स्वयं अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 22–8–2021 को पीड़िता के पिता व अन्य लोगों ने मिलकर मारपीट व लूट की घटना की थी जिसकी रिपोर्ट करने वह थाने पर गया था किन्तु उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। बाद में उक्त घटना से बचने के लिए उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मिथ्या आधारों पर पंजीबद्ध करायी गयी है। वह निर्दोष है। उसके विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। वह गरीब परिवार का नवयुवक होकर परिवार का आय अर्जन करने वाला है। वह बिलग्राम, जिला हरदोई (यू. पी.) का स्थायी निवासी है। वह अनुसंधान में मदद	

Order ceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Pleaders where necessary

करने हेतु तत्पर है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

अभियुक्त के प्रथम जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में उसके भाई जमाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत आवेदन पत्र होना दर्शाया है।

पीड़िता की मां/आपत्तिकर्ता की ओर से इस आशय की आपत्ति पेश की गयी है कि अभियुक्त द्वारा उसकी बेटी/पीड़िता का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उसके गाल पर बुरी नियत से हाथ फेरा गया। अभियुक्त द्वारा आपत्तिकर्ता की बेटी को जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्त पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वह आपत्तिकर्ता पर राजीनामा करने का दबाव बना रहा है। अभियुक्त इंदौर शहर से बाहर हरदोई (उत्तरप्रदेश) का निवासी है जमानत पर रिहा होने पर उसके फरार होने की संभावना है। अतः जमानत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी। आपत्ति आवेदन के समर्थन में आपत्तिकर्ता ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

विशेष लोक अभियोजक ने अभियुक्त को जमानत पर लाभ दिये जाने पर आपत्ति होना व्यक्त किया।

अभियोजन कहानी अनुसार घटना दिनांक 22–8–2021 को दोपहर 2:00 बजे पीड़िता जो कक्षा छठवीं में पढ़ाई करती है, उसके पिता बाजार गये थे। वह और उसकी मां घर पर थे, तब चूड़ी बेचने वाला लड़का गोलू आया उसने अपना अधजला वोटर आई. डी. कार्ड दिखाया जिससे उन्हें लगा कि वह अच्छा व्यक्ति है। वे उससे चूड़ियां खरीदने लगे। चूडियां खरीदने के बाद उसकी मां पैसे लेने घर के अंदर गयी तब अभियुक्त उसका हाथ बुरी नियत से पकड़कर सहलाने लगा। वह चिल्लाई तो आसपास के रहने वाले आ गये, तब अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देकर भागने लगा। आसपास के लोगों ने

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

अभियुक्त को पकड़ा। अभियुक्त ने जिस पन्नी की थैली में से उसे वोटर आई.डी. कार्ड निकालकर बताया था उसमें से दो आधार कार्ड मिले जिनमें से एक आधार कार्ड में उसका नाम असलीम एवं दूसरे आधारकार्ड में तस्लीम लिखा था। पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना बाणगंगा में दर्ज करवाये जाने पर वहां के अपराध क्रमांक 1119/2021 पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना आरंभ की गयी तथा उसे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 354–ए, 467, 468, 471, 420, 506 भा.दं.सं. एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं जो कि गंभीर प्रकृति के हैं क्योंकि अभियुक्त द्वारा अवयस्क पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें की गयी हैं। चूंकि अभी प्रकरण में अनुसंधान चल रहा है। अभियुक्त इंदौर शहर से बाहर का निवासी है यदि उसे जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने एवं अनुसंधान बाधित होने की संभावना है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध की गंभीरता तथा प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं हैं।

फलतः आवेदक/अभियुक्त गोलू उर्फ तस्नीम उर्फ तस्लीम की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक–एक प्रति केस डायरी एवं रिमांड प्रपत्र में संलग्न की जाये तथा केस डायरी संबंधित थाने को वापस की जाये।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार में जमा हो।

21.8.21

(श्रीमती पावस श्रीवास्तव)
पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश,
इंदौर (म.प्र.)